

प्रावक्थन

“परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की गतिविधियाँ” की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों वाला मार्च 2012 को समाप्त भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।